महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा (महाराष्ट्र)

ज्ञान शांति मैत्री

कार्यवृत्त

(विद्या-परिषद् की पंद्रहवीं बैठक)

10 मई, 2010

सायं 04:00 बजे

कुलपति कक्ष

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अन्तंरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

विद्या–परिषद् की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 10.05.2010

अनुक्रमणिका

मद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	विद्या-परिषद् की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	02
2	विद्याा-परिषद् की 13वीं बैठक के अनुपालन में की गयी कार्रवाई के संदर्भ में-	02
3	विद्या-परिषद् की 14वीं (विशेष) बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	02
4	सत्र 2010-11 का अकादमिक कैलेण्डर के संदर्भ में।	03
5	लखनऊ केंद्र के पी-एच.डी. वर्ष 2002-03 के शोधार्थी श्री दयानंद शर्मा का प्रकरण।	03
6	पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2009 में पी-एच.डी. शोधार्थियों के अवकाश संबंधी संशोधन।	03–04
7	सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सीटों का निर्धारण।	04
8	समस्त पाठ्यक्रम शुल्क में एकरूपता लाने हेतु प्रति-कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	04–05
9	एम.फिल./पी-एच.डी. छात्रों हेतु कम्प्यूटर संचालन एवं अनुप्रयोग पाठ्यक्रम ।	05–06
10	हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी अन्तरराष्ट्रीय संघ (An International Association of Hindi Information Technology) का गठन।	06
11	संस्कृति-विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की छठी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	06
12.	दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित प्रबंधन पाठ्यक्रम एम.बी.ए./बी.बी.ए. का पाठ्य-विवरण।	07
13	किसी छात्र द्वारा एम.ए./एम.फिल. के किसी पाठयक्रम को द्वितीय बार करने पर प्रवेश देने पर विचार।	07
14	"हिंदी साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में विवाद" विषयक डॉ. साधना अग्रवाल के परियोजना प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति।	07
15.	डी.आर.सी. में बाह्य सदस्यों का नामांकन।	08
16.	विश्वविद्यालय में Choice Based Credit System लागू किए जाने के संदर्भ में।	08
17.	स्पेनिश परीक्षार्थियों द्वारा शब्दकोश (Dictionary) प्रयोग किए जाने के संदर्भ मे।	08
18.	महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा अकादमिक सत्र 2010-11 व भविष्य में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में।	09
19.	महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा भविष्य में नए पाठ्यक्रमों का प्रारंभ।	09
20.	बी.बी.ए. व एम.बी.ए. पाठ्यक्रम को हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी चलाए जाने के संदर्भ में।	09
21.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों को छूट।	10
22.	प्रथम अध्यादेश क्रमांक 1.4.7 के अनुसार आंतरित छात्रों को प्रवेशांक में 50 प्रतिशत के आरक्षण के संबंध में विचार।	10
23.	सत्र 2010-2011 हेतु एम.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश।	10-11
24.	एम.ए. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) एवं एम.फिल हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम में संशोधन और स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) को आगामी-सत्र के लिए पारित करने का अनुमोदन।	11
25.	एम.फिल के लघु शोध प्रबंध का मूल्यांकन	11
26.	पी-एच.डी. को अंतरानुशासनिक बनाने एवं एक विभाग के शोधार्थी का प्रवेश दूसरे विभाग में विषयानुसार पंजीकृत करने पर विचार।	12
27.	भाषा-विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड का गठन।	12

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 15वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 10 मई, 2010 को सायं 4.00 बजे कुलपति कक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1.	श्री विभूति नारायण राय	:	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. नदीम हसनैन	:	प्रतिकुलपति एवं सदस्य
3.	प्रो. अली अहमद फातमी	:	सदस्य
4.	प्रो. ए. अरविंदाक्षन	:	सदस्य
5.	प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव	:	सदस्य
6.	प्रो. उमाशंकर उपाध्याय	:	सदस्य
7.	प्रो. मनोज कुमार	:	सदस्य
8.	प्रो. लेला कारूण्यकरा	:	सदस्य
9.	प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	:	सदस्य
10.	प्रो. अनिल कुमार राय	:	सदस्य
11.	डॉ. सी. अन्नपूर्णा	:	सदस्या
12.	डॉ. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	:	सदस्य
13.	डॉ. संतोष कुमार भदौरिया	:	सदस्य
14.	डॉ. रामानुज अस्थाना	:	सदस्य
15.	डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय	:	सदस्य
16.	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकि	:	सदस्य
17.	श्री राकेश कुमार मिश्रा	:	सदस्य
18.	श्री आनंद मंडित मलयज	:	सदस्य
19.	श्री अमित कुमार विश्वास	:	सदस्य
20.	सुश्री करूणानिधि	:	सदस्या
21.	डॉ. कैलाश खामरे	:	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

अन्य सदस्य - प्रो. तुलसी राम, प्रो. सुधीर चंद्रा, प्रो. इलिना सेन तथा डॉ. महेन्द्र कुमार सी. पाण्डेय विविध कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष से बैठक की कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय के अंतर्गत सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

मद संख्या : 01

विद्या–परिषद् की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

विद्या-परिषद् की 13वीं बैठक दिनांक: 25/08/2009 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ भवन में सम्पन्न हुई।

उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि हेतु कार्यवृत्त विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(संलग्नः विद्या-परिषद् की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त : परिशिष्ट-1)

कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या : 02

विद्या–परिषद् की 13वीं बैठक के अनुपालन में की गयी कार्यवाही

विद्या-परिषद् की 13वीं बैठक दिनांक: 25/08/2009 में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गयी कार्यवाही माननीय विद्या-परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है :

विद्या-परिषद् ने 13वीं बैठक की मद संख्या–15, जोकि पी-एच.डी. के अध्यादेश–45/2009 की स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में है, के समक्ष की गयी कार्यवाही कॉलम में प्रस्तुत यू.जी.सी. के पत्रानुसार पी-एच.डी. हेतु उल्लिखित पात्रता का अवलोकन किया तथा संबंधित अध्यादेश में पुनः आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए निम्नांकित समिति का गठन कर उसकी अनुशंसाओं के आधार पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया :

1. **प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव**
2. **प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल**
3. **प्रो. अनिल कुमार राय**

शेष मदों के अनुसरण में की गयी कार्यवाही से सहमति व्यक्त की गई।

मद संख्या : 03

विद्या–परिषद् की 14 वीं (विशेष) बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

विद्या-परिषद् की 14 वीं (विशेष) बैठक दिनांक 09/12/2009 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ भवन सम्पन्न हुई। उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि हेतु कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(संलग्नः विद्या-परिषद् की 14 वीं (विशेष) बैठक का कार्यवृत्त- परिशिष्ट-2)

कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या : 04

सत्र 2010–11 का अकादमिक कैलेण्डर

माननीय प्रति-कुलपति महोदय की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों की दिनांक 16/02/10 को सम्पन्न बैठक में अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2010-11 को अंतिम रूप दिया गया। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। *(अनुलग्नक–01 (पृष्ठ-12)*

अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2010–11 को नए संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 05

लखनऊ केंद्र के पी–एच.डी. वर्ष 2002–03 के शोधार्थी श्री दयानंद शर्मा का प्रकरण

क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ केंद्र से उपलब्ध विवरण के अनुसार श्री दयानंद शर्मा का लखनऊ केंद्र के अन्तर्गत पी-एच.डी. पाठ्यक्रम, सत्र 2002-03 में पंजीयन दिनांक 16/08/03 को हुआ है। इनका शोध-विषय ***'कुलूती और हिंदी साम्य एवं वैषम्य'*** है । इनके द्वारा संबंधित विषय पर शोध कार्य किया गया है एवं पी-एच.डी. उपाधि हेतु इसे प्रस्तुत करने की मांग की जा रही है। क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ केन्द्र ने अपने पत्र संख्याः 300-567/09/भा.के./म.गां. अ.हि.वि. दिनांक 06/10/09 में न्यायोचित दिशा-निर्देश हेतु एक शोध समिति की बैठक बुलाकर निर्णय लेने का प्रस्ताव दिया है जिसपर माननीय कुलपति ने विद्या-परिषद् की बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्तुत। *(अनुलग्नक-02 (पृष्ठ-13-23)*

विद्या–परिषद् ने समस्त प्रकरण का परीक्षण कर यह निर्णय लिया कि चूंकि श्री दयानन्द शर्मा के पी–एच.डी. विषय का निर्धारण तथा उनके शोध निर्देशक की नियुक्ति नियमानुकूल नहीं हुई है, अतः उनका पंजीकरण मान्य नहीं किया जा सकता।

मद संख्या : 06

पी–एच.डी. अध्यादेश 45/2009 में पी–एच.डी. शोधार्थियों/विद्यार्थियों के अवकाश संबंधी संशोधन

पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 45/2009 के बिंदु क्रमांक 8.1 में Attendence and Leave का उल्लेख है परंतु इसमें शोधार्थियों को अवकाश दिए जाने के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख नहीं है जिससे अवकाश स्वीकृत करने में काफी परेशानियाँ होती है। अतः यदि अनुमति हो तो, इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा JRF/SRF हेतु निर्धारित नियम को विश्वविद्यालय में लागू किया जा सकता है-

Leave: Leave for a maximum period of 30 days in a year in addition to public holidays may be taken by a Fellow with the approval of the supervisor. However, they are not entitled to any other vacations, for example, summer, winter and pooja vacations. Women awardees are eligible for maternity leave at full rates of the fellowship for 135 days as per Government of India rules

once during the tenure of their award. The awardee may in special cases may be allowed by the Commission leave without fellowship/associateship and contingency for a period not exceeding three months during the tenure of award on the recommendation of the supervisor/Head of department of the institution concerned. The period of leave without fellowship/associateship will be counted towards the tenure.

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्तुत। *(अनुलग्नक-03(पृष्ठ-24)*

प्रस्तावित अवकाश संबंधी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या : 07

सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सीटों का निर्धारण

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं परंतु सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है। सत्र 2010-11 से लागू करने हेतु सीटों की संख्या संबंधी निम्न प्रस्ताव माननीय कुलपति के समक्ष रखा गया था जिसे उन्होंने विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है-

पाठ्यक्रम	प्रस्तावित सीटों की संख्या
सर्टिफिकेट	25
डिप्लोमा	30
एडवांस्ड डिप्लोमा	30
पी.जी. डिप्लोमा	30

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्तुत। *(अनुलग्नक-04(पृष्ठ-25-26)*

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्तुत। *(अनुलग्नक-04(पृष्ठ : 25–26)*

विद्या–परिषद् ने विचार–विमर्श के पश्चात् सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या को भी 25 से 30 करने एवं शेष प्रस्तावित सीटों की संख्या को अनुमोदित किया।

मद संख्या : 08

समस्त पाठ्यक्रम शुल्क में एकरूपता लाने हेतु प्रति–कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 005/2009/GAD/1-4/1954 दिनांकः 23/09/2009 द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के शुल्क में एकरूपता लाने हेतु प्रति-कुलपति महोदय की अध्यक्षता एवं प्रो. मनोज कुमार तथा प्रो. लेला कारूण्यकारा की सदस्यता में एक समिति का गठन किया गया था जिसकी दूसरी बैठक दिनांक 20-21 जनवरी, 2010 को प्रति-कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क पर विचार करते हुए निम्न निर्णय लिए गए -

1) समिति द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के शुल्क में एकरूपता लाते हुए शुल्क का निर्धारण किया गया जिसे माननीय कुलपति महोदय के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा जाए। *(शुल्क विवरण संलग्न)*

2) एम.ए. पाठ्यक्रम की चतुर्थ छमाही में क्षेत्रकार्य/परियोजना कार्य के अन्तर्गत शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाएगा जो चतुर्थ छमाही में ही देय होगा।

3) अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क माफ करने पर विचार किया गया। कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उपर्युक्त श्रेणी के विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क माफ किया जाता है। अतः समिति ने निर्णय लिया है कि इसे इस विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाए।

4) पुस्तकालय से विद्यार्थियों को जारी होने वाली किताबों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गयी -

एम.ए एवं डिप्लोमा-04
एम.फिल.-06
पी-एच.डी.-10

5) छात्रावास शुल्क पर विचार करते हुए समिति ने विद्यार्थियों से निम्नानुसार छात्रावास शुल्क लेने की सिफारिश की -

एम.ए./एम.फिल	-	रु.150/- प्रति माह
पी-एच.डी.	-	रु.200/- प्रति माह

उपर्युक्त का कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। *(अनुलग्नक-05(पृष्ठ-27-32)*

विद्या–परिषद् ने उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 8(1, 3 एवं 4) का अनुमोदन एवं 8(2) को निरस्त किया। बिन्दु क्रमांक 8(5) के अन्तर्गत एम.ए./एम.फिल. विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित शुल्क को स्वीकृति दी एवं पी–एच.डी. शोधार्थियों के लिए छात्रावास शुल्क के संबंध में यह निर्णय लिया कि जब तक प्रत्येक कमरे में दो शोधार्थी रह रहे हैं, तब तक राशि रु.150/– एवं प्रत्येक शोधार्थी के लिए एकल व्यवस्था होने पर राशि रु.200/– लिया जाय।

मद संख्या : 09

एम.फिल./पी–एच.डी. छात्रों हेतु कम्प्यूटर संचालन एवं अनुप्रयोग पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार प्रवेशीकरण के पश्चात् प्रत्येक एम.फिल./पी-एच.डी. छात्र को न्यूनतम एक सेमेस्टर की अवधि तक का पाठ्यक्रम कार्य करना होगा जो पूर्व एम. फिल./पी-एच.डी. की तैयारी का माना जाएगा और निश्चित् रूप से शोध प्रविद्धि का पाठ्यक्रम होगा जिसमें परिमाणात्मक पद्धति एवं कम्प्यूटर प्रयोग शामिल होगा।

उपर्युक्त अधिनियम को संज्ञान में रखते हुए लीला विभाग द्वारा एम.फिल./पी-एच.डी. शोधार्थियों के लिए कम्प्यूटर संचालन एवं अनुप्रयोग पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम माननीय कुलपति के आदेशानुसार सत्र 2009-10 से लागू किया गया है।

पाठ्यक्रम कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। *(अनुलग्नक : 06 पृष्ठ-33-36)*

जिन विभागों में कंप्यूटर पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उन विभागों की जरूरत के अनुसार कम्प्यूटर अनुप्रयोग के पाठ्यक्रम का निर्माण संबंधित विभागों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माप–दण्डों के अनुरूप पाठ्यक्रम का स्तर ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की अभिकलन इकाई 'लीला' के सहयोग से तैयार कराया जाए।

मद संख्या : 10

हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय संघ (An International Association of Hindi Information Technology) का गठन

हिंदी भाषा को सूचना प्रौद्योगिकी के समन्वय से एक नवीन दृष्टि और दिशा प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कटिबद्ध है। भाषा का सैद्धांतिक दृष्टिकोण हो या अनुप्रयोगात्मक क्षेत्र बिना अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी से जुड़े उसका समुचित विकास तथा संवर्धन संभव नहीं हो सकता। इस अवधारणा को केंद्र में रखते हुए हिंदी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय में *'हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय संघ'* के गठन का प्रस्ताव निदेशक, प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र से प्राप्त हुआ। विचार विमर्श के उपरांत माननीय कुलपति ने प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए प्रकरण को विद्या-परिषद् में विचारार्थ रखने हेतु निर्देशित किया।

उपर्युक्त संबंध में निर्णय हेतु प्रस्तुत। *(अनुलग्नक–06 (पृष्ठ : 37-43)*

हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय संघ के गठन को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या : 11

संस्कृति–विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की छठी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की छठी बैठक दिनांक 27/04/2010 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। *(अनुलग्नक–07 (पृष्ठ : 44-200)*

कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नांकित निर्णय के साथ किया गया :

''12वीं बैठक में विद्या-परिषद् द्वारा 'दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र' के अंतर्गत एम.फिल. पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में सीटों की अधिकतम संख्या 06 निर्धारित की तथा आउटसोर्सिंग के बजाय अन्य विभागों के शिक्षकों के सहयोग से कार्य लेने का निर्णय लिया।'' इसी तरह एम.एस. डब्ल्यू. पाठ्यक्रम के संदर्भ में भी अधिकतम 06 सीटें निर्धारित करते हुए विभागीय शिक्षकों से सहयोग लिए जाने का निर्णय हुआ।

मद संख्या : 12

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित प्रबंधन पाठ्यक्रम एम.बी.ए./बी.बी.ए. का पाठ्य–विवरण

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित प्रबंधन पाठ्यक्रम एम.बी.ए./बी.बी.ए. का पाठ्य-विवरण माननीय विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। *(अनुलग्नक–08 (पृष्ठ : 201-275)*

पाठ्य–विवरण का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या : 13

किसी छात्र द्वारा एम.ए./एम.फिल. के किसी पाठयक्रम को द्वितीय बार करने पर प्रवेश देने पर विचार

प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की Scrutiny के समय यह पाया गया है कि कुछ छात्र पूर्व में एम.ए./एम. फिल. कर चुके होते हैं और द्वितीय बार वही पाठ्यक्रम अन्य विषय से करने हेतु आवेदन करते हैं।

विद्या-परिषद् के संज्ञान में लाया जा रहा है कि एम.फिल/पी-एच.डी. छात्रों को यू.जी.सी. से फेलोशिप दी जाती है। अतः दूसरी बार एक ही पाठ्यक्रम (दूसरे विषय में) कर रहे छात्र दूसरे जरूरतमंद *(शिक्षा के संदर्भ में)* विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में बाधा बनते हैं। *विश्वविद्यालय किसी को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता लेकिन ऐसे छात्रों को प्रवेश के पश्चात फेलोशिप/छात्रवृत्ति दिए जाने/न दिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।*

चूंकि अकादमिक अध्यादेश में इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है अतः विद्या-परिषद् इस संबंध में निर्णय लेने का कष्ट करें।

विद्या-परिषद् ने इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि शोधार्थी सिर्फ़ फेलोशिप की वजह से दोबारा प्रवेश न लें और दूसरे जरूरतमंद शोधार्थी भी शिक्षा से वंचित न रहें यह निर्णय लिया कि शोधार्थी से इस आशय का शपथ-पत्र लेकर कि वह फेलोशिप के बिना दूसरी बार एम.ए. में प्रवेश लेना चाहता है, उसे प्रवेश दिया जा सकता है।

मद संख्या : 14

"हिंदी साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में विवाद" विषयक डॉ. साधना अग्रवाल के परियोजना प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति

साहित्य विभाग द्वारा डॉ. साधना अग्रवाल के परियोजना प्रस्ताव पर कुलपति द्वारा दिनांक 23.03.2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि उक्त प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति के लिए विद्या-परिषद् में रखने की कार्यवाही की जाए। प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति के लिए विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

परियोजना को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या : 15

डी.आर.सी. में बाह्य सदस्यों का नामांकन

यह अनुभव किया गया है कि डी.आर.सी. में विश्वविद्यालय के बाहर से भी कुछ अनुभवी विद्वानों को नामांकित किया जाए। अतः विद्या-परिषद् अध्यादेश 45/2009 के बिंदू क्र 5.5 में निम्ननिखित संशोधन करने की कृपा करें।

अध्यादेश 45/2009 के बिंदू क्र. 5.5 पर अंकित वाक्य	प्रस्तावित परिवर्तित वाक्य
The Vice-Chancellor may nominate any other suitable person on the recommendation of DRC for any particular meeting.	The Vice Chancellor may nominate any other suitable person/s in the D.R.C.

इस संदर्भ में उपरोक्त मद संख्या–02 के अंतर्गत गठित समिति को विचार कर अनुशंसाएँ कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उनके आधार पर निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

मद संख्या : 16

विश्वविद्यालय में Choice Based Credit System लागू किए जाने के संदर्भ में

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. F.No.4 & 22/2009-LCC दिनांक 05.11.2009 के आलोक में विश्वविद्यालय में Choice Based Credit System लागू किए जाने से संबंधित निर्णय लिया जाना है। MHRD से प्राप्त पत्र अकादमिक काउंसिल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत। *(कुल पृष्ठ : 04)*

उक्त प्रणाली को लागू किए जाने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या : 17

स्पेनिश परीक्षार्थियों द्वारा शब्दकोश (Dictionary) प्रयोग किए जाने के संदर्भ में

श्री रविकुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेनिश भाषा ने प्रतिकुलपति महोदय को दिए अपने आवेदन में स्पेनिश भाषा की परीक्षाओं में तीसरे और चौथे सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को शब्दकोश (Dictionary) प्रयोग किए जाने के संदर्भ में निवेदन किया है। उपरोक्त संदर्भ में निर्णयार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत *(कुल पृष्ठ : 05)*

विद्या-परिषद् ने कुलपति को स्पेनिश के साथ-साथ फ्रेंच एवं चीनी भाषाओं के शिक्षकों के साथ बातचीत कर सहमत होने पर तीनों भाषाओं के लिए शब्दकोश प्रयोग किए जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

मद संख्या : 18

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा अकादमिक सत्र 2010-11 व भविष्य में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में।

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केन्द्र में **अकादमिक-सत्र 2010-11 से निम्नांकित पाठ्यक्रमों** को आरम्भ किए जाने के प्रस्ताव को दूरशिक्षा के अध्ययन बोर्ड की बैठक में पारित किया है -

1. समाजकार्य में स्नातकोत्तर उपाधि
2. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर (M.J.M.C.)
3. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक (B.J.M.C.)
4. आपदा प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा
5. एन.जी.ओ. प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा
6. बी.लिब. - एकवर्षीय पाठ्यक्रम
7. एम.लिब - एकवर्षीय पाठ्यक्रम
8. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में पी.जी. डिप्लोमा
9. पर्यटन प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा

अतः उक्त प्रस्ताव को अकादमिक काउंसिल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत (कुल पृष्ठ : 02)

उपरोक्त क्रम-7 में उल्लिखित पाठ्यक्रम को छोड़कर शेष पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की तथा एम.लिब पाठ्यक्रम की अवधि पता लगाने को कहा।

मद संख्या : 19

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा भविष्य में नए पाठ्यक्रमों का प्रारंभ

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा **भविष्य में निम्नांकित पाठ्यक्रमों प्रारंभ** किए जाने के प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में -

1. पर्यटन व होटल प्रबंधन में बी.बी.ए.
2. पर्यटन व होटल प्रबंधन में एम.बी.ए
3. पर्यटन व होटल प्रबंधन में एम.ए.

पाठ्यक्रम आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या : 20

बी.बी.ए. व एम.बी.ए पाठ्यक्रम को हिन्दी के अलावा अंग्रेजी में भी चलाए जाने के संदर्भ में

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत संचालित बी.बी.ए. व एम.बी.ए के पाठ्यक्रमों को वर्तमान समय में हिन्दी माध्यम चलाया जा रहा है। विभिन्न अध्ययन-केन्द्रों द्वारा इसे अंग्रेजी में भी चलाए जाने की बात कही है अतः विशेष परिस्थिति में बी.बी.ए. व एम.बी.ए के पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में भी चलाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत।

प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद संख्या : 21

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) श्रेणी के विद्यार्थियों को छूट

विशेष तौर पर Qualifying Nature की सभी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों को 05 प्रतिशत अंको की छूट दी जा रही है। चूँकि पीएच.डी के प्रथम सेमेस्टर के कोर्सवर्क की परीक्षा में छूट नहीं दी जा सकी, अतः इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को परीक्षाओं में प्राप्त होने वाले अंको में 05 प्रतिशत छूट दिए जाने के प्रस्ताव के संदर्भ में निर्णय लिया जाना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों को 05 प्रतिशत अंकों की छूट देने का निर्णय लिया गया।

*** (अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय) ***

मद संख्या : 22

प्रथम अध्यादेश क्रमांक 1.4.7 के अनुसार आंतरिक छात्रों को प्रवेशांक में 50 प्रतिशत के आरक्षण के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश क्रमांक 1.4.7 का उद्धरण इस प्रकार है :

> 50% seats will be filled by internal students of the University who have passed qualifying examination from the University provided they fulfill the minimum requirements for the course and qualify the prescribed Entrance Test(s), unless otherwise specified.

उपरोक्तानुसार प्रवेश में 50 प्रतिशत का आरक्षण विश्वविद्यालय के आंतरिक छात्रो को दिए जाने का उल्लेख है। उक्त नियम विद्या-परिषद् के समक्ष संशोधन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

चूँकि इस अकादमिक सत्र में प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है अतः अध्यादेश क्रमांक 1.4.7 में संशोधन को स्वीकृत करते हुए इसके अनुपालन में अगले सत्र (2010-2011) से कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

मद संख्या : 23

सत्र 2010-2011 हेतु एम.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश

सत्र 2010-2011 हेतु एम.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा हेतु पूर्व में दिनांक 22 एवं 23.05.2010 को लिखित परीक्षा रखी गई थी, परंतु निर्धारित तिथि के अंदर इस पाठयक्रम हेतु प्राप्त कम आवेदनों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2010-2011 की लिखित परीक्षा को

निरस्त किया गया। लिखित परीक्षा की बजाए समस्त योग्य आवेदकों को सीधे पूर्व निर्धारित साक्षात्कार की तिथि 25 एवं 26 जून, 2010 को आमंत्रित किया जाएगा।

उपरोक्त संदर्भ में जारी किए गए परिपत्र क्रमांक 005/2010/GAD/1-4 दिनांक 07.05.2010 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश क्रमांक ADM/12 provision for Admission (L) के प्रावधान "Procedure of admission shall be approved by the Academic Council from time to time and shall be published in the prospectus" के अंतर्गत उक्त विषय कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या : 24

एम.ए. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) एवं एम.फिल. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम में संशोधन और स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) को आगामी-सत्र के लिए पारित करने का अनुमोदन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानदंड के अनुसार अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में एम.ए. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम को अद्यतन करने हेतु कार्यशाला दिनांक 22-23 फरवरी, 2010 को आयोजित की गई, जिसमें एम.ए. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) एवं एम.फिल. हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया और स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) आगामी-सत्र के लिए पारित किया गया। संलग्न पाठ्यक्रम विद्या-परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

विद्या-परिषद् ने नोट किया।

मद संख्या : 25

एम.फिल. के लघु शोध प्रबंध का मूल्यांकन

पी-एच.डी. की तरह यू.जी.सी. के नियमानुसार एम.फिल. के लघु शोध प्रबंध का मूल्यांकन दो परीक्षकों से करवाया जाना है। व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि एक ही परीक्षक के पास दो-तीन महीने लग जाते हैं। इसलिए यहीं बुलाकर शोध प्रबंध का मूल्यांकन करवाने पर निर्णय लें।

एम.फिल. के लघु शोध प्रबंध की मूल्यांकन पद्धति को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि अलग-अलग समय में थोड़े अंतराल पर परीक्षकों से शोध प्रबंध का मूल्यांकन करवाया जाएगा। दोनों औसत अंक और मौखिकी के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी तथा शोध निदेशक के प्रतिवेदन को भी शामिल किया जाएगा।

मद संख्या : 26

पी-एच.डी. को अंतरानुशासनिक बनाने एवं एक विभाग के शोधार्थी का प्रवेश दूसरे विभाग में विषयानुसार पंजीकृत करने पर विचार।

अंतरानुशासनिक शोध विषयों के चयन को बढ़ते हुए ज्ञान क्षेत्र के लिए आवश्यक माना गया। इस प्रकार के विषय के लिए दूसरे विषयों से निदेशक या सह शोध निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं।

मद संख्या : 27

भाषा-विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड का गठन

भाषा-विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के गठन के संदर्भ में डी.आर.सी. की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित सदस्यों के नाम प्रस्तावित हैं : प्रो. वी. रा. जगन्नाथन (दिल्ली), प्रो. प्रमोद कुमार पाण्डेय, (जे.एन.यू., दिल्ली), प्रो. ठाकुरदास (दिल्ली) एवं प्रो. वी. लक्ष्मीबाई (हैदराबाद) । इन्हें भाषा-विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त मद संख्या–2 के संदर्भ में गठित समिति सभी विद्यापीठों के बोर्ड के गठन के संबंध में विचार करेगी और उनकी संस्तुति के आधार पर निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा अध्यक्ष एवं पदेन सचिव द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करने से हुई।

(कैलाश खामरे)
पदेन सचिव : विद्या–परिषद् एवं कुलसचिव
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
वर्धा (महाराष्ट्र)